न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, लोहरदगा।
(अनुमति वाद संख्या 41/2013–14 धारा– 46 सी0 एन0 टी0 एक्ट)

16.6.15

आदेश

आवेदिका **श्रीमती आशा उराईन पति श्री करमपाल भगत जात उरॉव** साकिन **कैमो पतरा टोली** थाना वो जिला लोहरदगा के द्वारा सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा –46 के तहत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा **कैमो** के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकबा
कैमो	लोहरदगा	212	115/57	1461/1519	0.05 एकड़

आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुए सम्बंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिश जारी किया गया कि उक्त जमीन को बिक्री करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित हो कर दाखिल करें। साथ ही आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी **लोहरदगा** से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नही हुआ।

अंचल अधिकारी **लोहरदगा** ने अपने पत्रांक **391** दिनांक **10.06.2014** द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी **लोहरदगा** द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि आवेदिका के पास कुल **0.10** जमीन है एवं जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में **0.05 एकड़** भूमि बचता है। जमीन का वर्तमान मुल्य **40,100/– रू0** प्रति डिसमिल है। आवेदिका **घर बनाने** हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। जमीन आवेदिका की **खरीदगी** है। आवेदिका खतियानी रैयत नही है। आवेदिका का खतियानी रैयत से क्रेता बिक्रेता का संबंध है। सरकारी रसीद आवेदिका के नाम से कटती है। विक्रेता एंव क्रेता एक ही थाना के निवासी है। जमीन का श्रेणी **टांड़–II** हैं।

इस क्रम में आवेदिका का भी ब्यान लिया गया आवेदिका के द्वारा बतलाया गया कि मौजा **कैमो** के अन्तर्गत खाता नं0 – **115/57**, प्लाट नं0 – **1461/1519**, बिक्री रकबा **0.05 एकड़** जमीन को **श्रीमती लखिया कुमारी टोप्पो** पति **श्री कार्तिक लकड़ा जात उरॉव** साकिन **कैमो पतरा टोली** थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ जमीन की बिक्री **40,100/– रू0** प्रति डिसमिल के दर से कर रहें है। आवेदिका **मकान बनाने** हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

क्रमश.........2

जमीन आवेदिका की खरीदगी है । सरकारी रसीद आवेदिका के नाम से कटती है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में **0.05 एकड़** भूमि बचता है। जमीन पर आवेदिका का दखल कब्जा है जमीन पर कोई विवाद नही है। जमीन बिकी करने पर किसी का दबाव नही है जमीन बिकी करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं।

अतः आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र, उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचलाधिकरी **लोहरदगा** से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा **कैमो** के अन्तर्गत खाता नं0 – **115/57**, प्लाट नं0 – **1461/1519**, बिक्री रकबा **0.05 एकड़** जमीन को **श्रीमती लखिया कुमारी टोप्पो पति श्री कार्तिक लकड़ा जात उरॉव** साकिन **कैमो पतरा टोली** थाना एवं जिला लोहरदगा के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा – 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर मो0 **40,100/– रू0** प्रति डिसमिल के दर से बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक लोहरदगा को सूचनार्थ भेजें।

लेखापित एंव शुद्धिकृत

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
लोहरदगा

ह0/
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
लोहरदगा।

ज्ञापांक.................../ *दिनांक* 16.6.15 /

प्रतिलिपि :– जिला अवर निबंधक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
लोहरदगा
16.6.15